राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक 16.03.2016

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर ने डी.बी.सिविल अपील संख्या 1379/2014 एवं डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1653/2015 एवं व अन्य समकक्ष रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.02.16 द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2011 का परिणाम प्रथम फेज में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में एवं द्वितीय फेज में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नये सिरे से वरीयता सूची जारी करने एवं उस पर 7 दिन में आपत्ति आमंत्रित कर निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये गये है।

अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग पूर्व में उक्त परीक्षा के संबंध में जारी समस्त परिणामों को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के उक्त आदेश दिनांक 03.02.2016 की अनुपालना में एतत्द्वारा निरस्त करते हुए प्रथम फेज में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से उक्त परीक्षा के द्वितीय फेज में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले 2157 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम उनकी वरीयता के क्रम में नये सिरे (a fresh) से प्रकाशित करता है।

अतः उक्त परीक्षा परिणाम के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इसके प्रकाशन की तिथि से 7 दिन अर्थात दिनांक 22.03.2016 तक अपनी आपत्ति ई–मेल/डाक/व्यक्तिशः कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 22.03.2016 (कार्यालय समय समाप्ति) के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त 2157 अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय को पूर्व में विस्तृत आवेदन पत्र जमा नहीं करवाये है, वे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर दिनांक 28.03.2016 को सांय 6.00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करवा देवें। अभ्यर्थियों की सुलभ सुविधा हेतु जिन अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय में अभी तक आवेदन पत्र जमा नहीं करवाये है उनकी सूची वेबसाईट पर अलग से जारी की जा रही है।

जो अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक 28.03.2016 को सांय 6.00 बजे तक विस्तृत आवेदन पत्र जमा नहीं करवायेगा उन अभ्यर्थियों को उक्त भर्ती के संबंध में पात्रता निर्धारण करने संबंधी वांछित शैक्षणिक योग्यता, वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति के अभाव में उसकी पात्रता संबंधी जांच नहीं किये जा सकने के कारण अपात्र घोषित किया जाकर आयोग द्वारा जारी की जाने वाली चयन सूची/आरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सूचित रहे।

संलग्न– उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची

16/3/16
(बी. एल. कोठारी)
सचिव